मुख्य मंत्री

श्री मुलायम सिंह यादव

का

2004-2005 के बजट अनुमानों

पर

बजट भाषण

वर्ष 2004-2005 के बजट अनुमानों पर मुख्य मंत्री मुलायम सिंह यादव का बजट भाषण

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आपकी अनुमति से मैं वित्तीय वर्ष 2004-2005 का बजट इस सम्मानित सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ ।

मान्यवर,

यह मेरा सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश की महान जनता ने इस आदरणीय सदन के सामने मुझे वित्तीय वर्ष 2004-2005 का बजट प्रस्तुत करने का अवसर दिया है । बहुत लम्बे समय बाद उत्तर प्रदेश में आज एक ऐसी सरकार काम कर रही है, जिसे जनता के सभी वर्गों का समर्थन प्राप्त है । हमारी नीतियों और कार्यक्रमों पर बड़े पैमाने पर प्रदेश की जनता ने विश्वास व्यक्त किया है । इसलिए हम इसे अपना पुनीत दायित्व मानते हैं कि सरकार के काम और कार्यशैली से प्रदेश के हर वर्ग को यह अहसास हो कि सरकार उनके हितों की रक्षा करने और उन्हें समृद्धिशाली बनाने के

लिए संकल्पबद्ध है । हमारी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है ।

मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमारी सरकार उत्तर प्रदेश को एक आदर्श प्रदेश के रूप में विकसित करने के लिए पूर्णतः प्रयासरत है । इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर हमने अपना यह बजट तैयार किया है । हम चाहते हैं कि हर वर्ग तक यह संदेश पहुँचे कि यह सरकार उनकी अपनी सरकार है और अत्यन्त सीमित संसाधनों के बावजूद उनके उत्थान का उद्देश्य लेकर चल रही है । इस प्रदेश में रहने वाले हर नागरिक को, चाहे वह शहरों में रहने वाला हो या गाँवों में, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, क्षेत्र, वर्ग, लिंग, समुदाय और सम्प्रदाय का हो, हम यह अहसास कराना चाहते हैं कि यह सरकार उनकी तकलीफों के प्रति संवेदनशील है । किसान, मजदूर, व्यापारी, वकील, महिला, कारीगर, नौजवान, उद्यमी, शिक्षक, छात्र, अल्पसंख्यक, असहाय, वृद्ध, विकलांग - हर वर्ग के लोगों के लिए हम लाभकारी योजनाएं और कार्यक्रम बनाकर उन्हें पूरी निष्ठा के साथ लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं ।

मुझे विश्वास है कि आप भी यह महसूस करेंगे कि यह बजट हमारी इस मंशा को यथार्थ के धरातल पर लाने की एक ईमानदार कोशिश है । हम अपने प्रयास में कितना सफल होते हैं, इसे आँकड़ों के माध्यम से देखने की बजाय हम इस आधार पर इसका परीक्षण करेंगें कि समाज में जो व्यक्ति विकास की अन्तिम सीढ़ी पर खड़ा हुआ है, जो शोषित, पीड़ित और परेशान है, उसे राहत पहुँचाने तथा उसकी शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक उन्नति करने में हम कितने सफल हुए हैं ।

मैंने वर्ष 1990-1991 का बजट इसी माननीय सदन के सामने प्रस्तुत करते हुए कहा था कि हम बख्शीश की राजनीति के स्थान पर व्यवस्था परिवर्तन की राजनीति चाहते हैं, जिससे हमेशा के लिए दुःख-दर्द मिटे । मैं आज भी इस प्रतिबद्धता को दोहराता हूँ । हम समाज के हर वर्ग को इतना शक्तिशाली और समृद्ध बनाने तथा ऐसी चेतना से सम्पन्न करना चाहते हैं कि उसमें अपने उत्थान के लिए स्वयं सामर्थ्य पैदा हो । इसी उद्देश्य को लेकर हम राजनीति में आये हैं । हमारी राजनीति का आधार सिद्धांतों और वैचारिक प्रतिबद्धताओं से निर्मित हुआ है । सत्ता हमारे

लिए जनता की सेवा का सशक्त माध्यम है, लोगों के हित में मानवीय और जनहितकारी व्यवस्था लागू करने का अवसर है । हमारे विचारों, सिद्धांतों और प्रतिबद्धताओं के बल पर ही हमें प्रदेश की जनता के हर वर्ग का समर्थन मिला है । इसी के बल पर हम प्रदेश में विकास के नये युग की आधारशिला रख रहे हैं । इसलिए इस बजट में इसका प्रतिबिम्ब दिखाई देना स्वाभाविक है । जनता का हित करके हम किसी पर कोई अहसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं ।

राज्य के बजट का विधान मण्डल द्वारा समय से पारित हो जाना अत्यन्त आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है ताकि पूरे वर्ष के लिए नियोजित तरीके से विकास कार्यों को सम्पन्न करने हेतु आवश्यकतानुसार धनराशि उपलब्ध हो सके । बजट को आज 11 फरवरी को प्रस्तुत करना बजट प्रक्रिया को सही दिशा में लाने का प्रयास है ।

मैंने वर्ष 2003-2004 के अपने बजट भाषण में यह उल्लेख किया था कि राज्य सरकार द्वारा कृषि, उद्योग, व्यापार, विद्युत, सड़क, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सेवाओं को

प्राथमिकता दी जायेगी । रोजगार के अवसर सुलभ कराये जायेंगे । समाज के सभी वर्गों, विशेषकर पिछड़े और निर्बल वर्ग के उत्थान का प्रयास किया जायेगा । कठोर वित्तीय अनुशासन एवं वित्तीय सुधार कार्यक्रम लागू किया जायेगा । ग्रामीण क्षेत्रों को वरीयता दी जायेगी । महिलाओं एवं अल्पसंख्यक समुदाय सहित समाज के दुर्बल वर्गों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सेवाओं पर विशेष बल दिया जायेगा ।

अपने सीमित संसाधनों के दायरे में हम पूरी निष्ठा के साथ इन प्राथमिकताओं पर अधिक से अधिक बल देते हुए प्रदेश को एक आदर्श, आधुनिक एवं समतामूलक राज्य के रूप में विकसित करने के लिए पूर्णतया प्रतिबद्ध हैं ।

सम्मानित सदन को यह विदित है कि नब्बे के दशक में आर्थिक सुधारों की जो प्रक्रिया शुरू की गई उससे यह बात उभर कर आई है कि सामाजिक व आर्थिक चुनौतियों का सामना करने के लिए निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के सहयोगी और सहभागी के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है । निजी क्षेत्र की मौजूदगी बहुत विस्तृत है । जहाँ एक ओर

प्राथमिकता दी जायेगी । रोजगार के अवसर सुलभ कराये जायेंगे । समाज के सभी वर्गों, विशेषकर पिछड़े और निर्बल वर्ग के उत्थान का प्रयास किया जायेगा । कठोर वित्तीय अनुशासन एवं वित्तीय सुधार कार्यक्रम लागू किया जायेगा । ग्रामीण क्षेत्रों को वरीयता दी जायेगी । महिलाओं एवं अल्पसंख्यक समुदाय सहित समाज के दुर्बल वर्गों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सेवाओं पर विशेष बल दिया जायेगा ।

अपने सीमित संसाधनों के दायरे में हम पूरी निष्ठा के साथ इन प्राथमिकताओं पर अधिक से अधिक बल देते हुए प्रदेश को एक आदर्श, आधुनिक एवं समतामूलक राज्य के रूप में विकसित करने के लिए पूर्णतया प्रतिबद्ध हैं ।

सम्मानित सदन को यह विदित है कि नब्बे के दशक में आर्थिक सुधारों की जो प्रक्रिया शुरू की गई उससे यह बात उभर कर आई है कि सामाजिक व आर्थिक चुनौतियों का सामना करने के लिए निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के सहयोगी और सहभागी के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है । निजी क्षेत्र की मौजूदगी बहुत विस्तृत है । जहाँ एक ओर

निगमित क्षेत्र हैं, वहीं दूसरी ओर उससे अधिक बड़ा असंगठित क्षेत्र है, जिसमें छोटी-छोटी इकाइयाँ और उद्यम हैं ।

मान्यवर, हमारी सरकार की विकास की रणनीति के दो मुख्य पहलू हैं । एक तो हमारा यह प्रयास होगा कि सार्वजनिक पूँजी का उपयोग सर्वाधिक आवश्यकता वाले सामाजिक क्षेत्रों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य के विकास में किया जाए । साथ ही विकास के लिए महत्वपूर्ण अवस्थापना जैसे बिजली, सड़क एवं सिंचाई सुविधाओं का सृजन भी करना होगा । लेकिन हमारी सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि समाज के सबसे कमज़ोर एवं ज़रूरतमंद वर्ग के लोगों के हितों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाती रहे ।

हमारी सरकार की रणनीति का दूसरा पहलू यह होगा कि प्रदेश में आर्थिक विकास का एक ऐसा अनुकूल वातावरण विकसित हो जिससे पूँजी निवेशकों का सरकार की नीतियों में विश्वास बढ़े । इससे हम प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा ग़ैर सरकारी पूँजी निवेशकों को आकर्षित कर सकेंगे ।

हमारा यह मानना है कि कृषि, उद्योग तथा सेवा के क्षेत्रों में निजी क्षेत्र के बढ़ते हुए

फैलाव के कारण रोज़गार के पर्याप्त अवसर सृजित हो सकते हैं । हम प्रदेश में बेरोज़गारी दूर करने के लिए इसका पूरा-पूरा लाभ उठाना चाहेंगे ।

राज्य सरकार के वर्ष 2004-2005 के बजट की रणनीति तथा उसके अन्तर्गत ली गई योजनाएँ व कार्यक्रम इसी के अनुरूप हैं, जिनका मैं संक्षेप में उल्लेख करना चाहूँगा ।

प्राथमिकताएँ, उपलब्धियाँ तथा नए कार्यक्रम

ग्रामीण विकास की गति को अबाध व अविरल बनाए रखने के उद्देश्य से वार्षिक योजना का लगभग 71 प्रतिशत अंश ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं व कार्यक्रमों के लिए है । इन्हें और गति देने के लिए व्यय की नई मदों का 80 प्रतिशत् अंश ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रखा गया है ।

कुछ समय पूर्व गठित *उत्तर प्रदेश विकास परिषद* द्वारा प्रदेश के आर्थिक एवं औद्योगिक विकास के दूरगामी लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए महत्वपूर्ण संस्तुतियाँ सरकार को उपलब्ध करायी गई हैं । परिषद की संस्तुतियों में नई ऊर्जा नीति और उच्च तकनीक टाउनशिप योजनाएं

प्रमुख हैं । हमें विश्वास है कि आर्थिक सुधारों की दिशा में इन अभिनव प्रयासों से हम निजी क्षेत्र की अधिकाधिक पूँजी को आकर्षित कर सकेंगे ।

- किसानों के हितों की सुरक्षा

  - स्वाधीनता के बाद पहली बार प्रदेश के लगभग ढाई करोड़ सभी खातेदार किसानों को आकस्मिक दुर्घटना में मृत्यु अथवा उससे पैदा होने वाली शारीरिक विकलांगता की स्थिति में बीमा का लाभ दिलाने के लिए हमारी सरकार द्वारा शीघ्र ही एक *नई बीमा योजना* शुरू की जाएगी । यह किसानों के हितों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को प्रतिबिम्बित करता है ।

  - गन्ना किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान पेराई सत्र में अब तक 300 लाख टन गन्ने की पेराई की गई जबकि पिछले सत्र में इसी अवधि में केवल 220 लाख टन गन्ने की पेराई हो सकी थी । वर्तमान सत्र में लगभग 1100 करोड़ रुपये गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा चुका है,

जबकि पिछले पेराई सत्र में 650 करोड़ रुपये का भुगतान हुआ था । गन्ना किसानों की कठिनाईयों के निवारण हेतु राज्य सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में 532 करोड़ रुपये गन्ना मूल्य के भुगतान हेतु दिये गये हैं ।

- प्रदेश में आलू उत्पादकों के व्यापक हित में सरकार द्वारा आलू के निर्यात को प्रोत्साहित किये जाने हेतु भण्डारण सहायता तथा देश के भीतर 500 किलोमीटर से अधिक दूरी के केन्द्रों पर विपणन हेतु आलू भेजने के लिए परिवहन भाड़ा सहायता दिये जाने का निर्णय लिया गया है । राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से भी अनुरोध किया है कि केन्द्रीय संस्था, *नाफेड* द्वारा बाज़ार हस्तक्षेप योजना के अन्तर्गत आलू की ख़रीद की जाए ।

- धान से चावल के निकासी की दर के मानकों को शिथिल कर दिया गया है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा किसानों का धान क्रय किया जा सके और किसानों को अधिक आय हो सके ।

- किसानों को उनकी उपज के सुविधाजनक विपणन हेतु प्रदेश में ग्राम पंचायतों की भूमि पर लगने वाले 900 *किसान बाजारों एवं 100 पशु हाटों* में अवस्थापना सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण एवं निर्माण की नई योजना बनाई गई हैं । इस हेतु 42.75 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है ।

• ग्रामीण क्षेत्र का चहुंमुखी विकास

- प्रदेश के 25 जनपदों को आदर्श जनपदों में विकसित करने के लिए *"आदर्श जनपद योजना"* के लिए प्रथम चरण में 195 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है । मुख्यतः यह धनराशि चयनित जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास तथा रोज़गार के नए अवसर सृजित करने पर व्यय की जायेगी । हमारा उद्देश्य प्रदेश के सभी जनपदों को चरणों में इस योजना से आच्छादित करने का है ।

- कम कृषि उत्पादकता तथा बेरोज़गारी की समस्या वाले 20 पिछड़े हुए

जनपदों में भौतिक व सामाजिक अवस्थापनाओं में क्रिटिकल गैप्स को पूरा करने हेतु *राष्ट्रीय सम विकास योजना* के क्रियान्वयन हेतु 225 करोड़ रुपये का बजट प्राविधान किया गया है ।

- विधान मण्डल के माननीय सदस्यों द्वारा चयनित 6000 ग्रामों में *समग्र विकास योजना* क्रियान्वित की जाएगी । इन ग्रामों में अवस्थापना विकास, रोज़गार सृजन, शिक्षा व स्वास्थ्य आदि महत्वपूर्ण क्षेत्रों से सम्बन्धित विभिन्न विभागों की क्रियान्वित की जा रही 16 योजनाओं को सघन रूप से केन्द्रित किया जाएगा ।

- *त्वरित आर्थिक विकास योजना* के अन्तर्गत 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, जिससे मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं का विकास किया जायेगा ।

- ग्रामीण क्षेत्रों में *स्वच्छता प्रवर्तन कार्यक्रम* को एक अभियान के रूप में चलाकर वर्ष 2004-2005 में 6 लाख

शौचालयों के निर्माण कराया जायेगा, जिसका सर्वाधिक लाभ महिलाओं को मिलेगा । इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु लगभग 56 करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था की गयी है ।

- *विधायक निधि* में प्रति विधायक धनराशि 75.00 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.00 करोड़ रुपये की जायेगी, जिसके लिए 126 करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है ।

- प्रदेश के पूर्वी तथा बुन्देलखण्ड क्षेत्रों के त्वरित विकास हेतु गठित विकास निधियों के लिए 200 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है ।

अवस्थापना सुविधाओं का विकास

- ऊर्जा की नई नीति के अन्तर्गत वर्ष 2009 तक लगभग 40 हज़ार गाँवों के विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । वर्ष 2004-2005 में 6000 गाँवों में बिजली पहुँचाई जाएगी ।

- गैस पर आधारित 3500 मेगावाट क्षमता वाले दुनिया के सबसे बड़े बिजली घर की निजी क्षेत्र में स्थापना की पहल प्रदेश में की गई है । इसके लिए 10,000 करोड़ रुपये का निवेश सम्भावित है ।

- विद्युत वितरण के क्षेत्र में एक नई *ट्रेडिंग कम्पनी* का गठन किया जा रहा है ।

- आनपारा "सी" थर्मल प्रोजेक्ट को निजी क्षेत्र के सहयोग से पूर्ण कराया जायेगा ।

- वर्ष 2004-2005 में सभी *एजेन्सियों* द्वारा कुल मिलाकर 10,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का ज़ाल बिछाया जाएगा, जिसमें लगभग 2000 करोड़ रुपये का निवेश होगा । इसमें *प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना* के अन्तर्गत बनायी जाने वाली सड़कें भी शामिल हैं ।

- *उत्तर प्रदेश राज्य मार्ग प्राधिकरण* का एक स्वायत्तशासी संस्था के रूप में गठन किया गया है । इस प्राधिकरण

के द्वारा 9100 किलोमीटर लम्बे राज्य मार्गों के सुदृढ़ीकरण व अनुरक्षण का कार्य किया जाएगा । निजी पूँजी निवेश को भी इस कार्य हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा ।

- ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के व्यवस्थित निर्माण हेतु *उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क अभिकरण* का भी गठन किया गया है । इस अभिकरण द्वारा विभिन्न एजेन्सियों द्वारा किये जाने वाले सड़क निर्माण कार्यों का समन्वय, अनुश्रवण एवं नियंत्रण *डा. राम मनोहर लोहिया ग्रामीण सम्पर्क मार्ग (छतरी) योजना* के अन्तर्गत किया जायेगा ।

- निजी स्रोतों के माध्यम से एक नए प्रयोग के रूप में बिल्ड, ऑपरेट एण्ड ट्रान्सफर आधार पर रेलवे उपरगामी सेतुओं के निर्माण के लिए अध्ययन तथा तकनीकी सहायता प्राप्त किये जाने हेतु 2.50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है ।

- *चौधरी चरण सिंह नलकूप परियोजना* नामक नई योजना के अन्तर्गत पंचायतों की भागीदारी से 1000 नए

नलकूपों का निर्माण कराया जाएगा । प्रथम चरण में वर्ष 2004-2005 में 300 नलकूपों का निर्माण कराया जाएगा । इस हेतु 26.98 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है ।

- *चौधरी चरण सिंह सिंचाई विकास योजना* के अन्तर्गत नहर प्रणालियों से बेहतर सिंचाई सुविधा हेतु नहर पटरियों पर सड़कों के निर्माण हेतु 36.52 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है ।

• मानव संसाधनों का विकास

- सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु *सर्व शिक्षा अभियान* का वृहत् कार्यक्रम संचालित किया गया है । विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए शिक्षकों की भर्ती करने तथा शिक्षा मित्रों को रखने का अभूतपूर्व निर्णय हमारी सरकार ने लिया है ।
- *सर्वशिक्षा अभियान* के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र में लगभग 1,200 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है ।

46,189 बी.एड / एल.टी. योग्यता धारी अभ्यर्थियों की सहायक अध्यापक पद पर नियुक्तियाँ की जाएंगी । साथ ही लगभग 67,000 शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की जायेगी ।

- बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए *कन्या विद्या धन* योजनान्तर्गत कक्षा-8 उत्तीर्ण गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों की 90,000 छात्राओं का चयन कर कक्षा-12 उत्तीर्ण होने पर प्रोत्साहन स्वरूप 20,000 रुपये प्रति छात्रा भुगतान किया जायेगा ।

- समाजवादी विचारक स्व. श्री मधु लिमये के विचारों पर उत्कृष्ट शोध ग्रन्थ और उल्लेखनीय साहित्यिक योगदान के लिए उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान के माध्यम से एक लाख रुपये का मधु लिमये स्मृति पुरस्कार प्रतिवर्ष दिये जाने का निर्णय लिया गया है ।

- प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेषकर दूरवर्ती तथा दुर्गम स्थानों के निवासियों को स्थल पर चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने के लिए प्रथम चरण में

17 मोबाइल अस्पतालों का गठन किया जायेगा ।

- 30 जनपदों में विशिष्ट चिकित्सा सुविधा हेतु जिला अस्पतालों में चिकित्सा संयंत्र उपलब्ध कराने हेतु 28.28 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है ।
- डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, लखनऊ को अस्थि रोग विज्ञान एवं फिज़ियोथीरेपी विज्ञान के *सेन्टर आफ एक्सीलेन्स* के रुप में विकसित किया जाएगा । इसके लिए 8.28 करोड़ रुपये का प्राविधान है ।
- अप्रवासी भारतीयों एवं प्रदेश के अन्य प्रान्तों में रहने वाले नागरिकों के सहयोग से *स्वास्थ्य फाउन्डेशन* का गठन किया गया है ।
- *किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय* की स्थापना प्रस्तावित है, जिसके लिए 15 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है । इसमें चार नये संकाय ओरल मेडिसिन एण्ड रेडियोलॉजी, कम्यूनिटी डेन्टिस्ट्री, डेण्टल एनाटोमी

तथा डेण्टल मैटेरियल्स स्थापित किये जाने हैं ।

नगरीय सुविधाओं का विकास

- प्रदेश में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के नगरों के विकास हेतु एक विशेष निवेश पैकेज तैयार किया गया है ।
- *यमुना एक्शन प्लान* के अन्तर्गत प्रथम चरण में नगरों में नगरीय सुधार योजना लागू की गयी है ।
- *स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना* के अन्तर्गत बजट वर्ष में 32 करोड़ रुपये का व्यय होने का अनुमान है ।
- *वाल्मिकी अम्बेडकर मलिन बस्ती आवास योजना* के अन्तर्गत 12,500 आवासों का निर्माण प्रस्तावित है ।
- निजी पूँजी निवेश के माध्यम से *इन्ट्रीग्रेटेड टाउनशिप* विकसित करने हेतु नई नीति प्रस्तावित है ।
- भारत सरकार द्वारा गठित *अरबन रिफार्म इन्सेन्टिव फण्ड* से धनराशि की अनुमन्यता हेतु राज्य सरकार द्वारा

सुधार कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है ।

विभिन्न वर्गों हेतु सुविधाएं

शिक्षक

- प्रदेश के राज्य सहायता प्राप्त प्राथमिक / माध्यमिक विद्यालयों तथा डिग्री कालेजों के अध्यापकों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ा कर 62 वर्ष की गयी है ।

- राज्य विश्वविद्यालयों के शिक्षकों की भाँति 01 जनवरी, 1996 के पूर्व अवकाश प्राप्त डिग्री शिक्षकों की पेंशन के पुनरीक्षण का निर्णय लिया गया है ।

- राज्य विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के पी.एच.डी. उपाधि धारक शिक्षकों को कतिपय शर्तों के अधीन दो अग्रिम वेतन वृद्धियाँ दिये जाने का निर्णय लिया गया है ।

- उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक / शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिये सामूहिक

जीवन बीमा योजना लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है ।

- अशासकीय सहायता-प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्ध प्राइमरी प्रभाग के शिक्षकों को पेंशन सुविधा अनुमन्य कराये जाने का प्रस्ताव है ।

<u>व्यापारी</u>

- व्यापार कर पंजीकरण के लिए छूट की वर्तमान सीमा व्यापारियों के लिए डेढ़ लाख रुपये एवं उद्यमियों के लिए एक लाख रुपये है । इसे बढ़ाकर दोगुना किया जायेगा ।

- व्यापारियों की सामूहिक बीमा राशि को दो लाख रुपये से दोगुना कर चार लाख रुपये कर दिया गया है ।

- दलहन व्यापार के लिये लाइसेंस एवं स्टाक सीमा का प्रतिबन्ध समाप्त किया गया है ।

- व्यापार कर पंजीकरण बिना जमानत किये जाने की नीति लागू की गई है ।

- उद्यमियों एवं व्यापारियों की सुरक्षा और सुदृढ़ बनाने के लिए जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में "औद्योगिक / व्यापारिक सुरक्षा फोरम" के गठन की कार्यवाही शीघ्रता से की जायेगी । उद्यमी एवं व्यापारी प्रदेश में अपने को पूर्णतः भयमुक्त एवं सुरक्षित महसूस करें इसके लिए जो भी आवश्यक कार्यवाही है उसे किये जाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है ।

<u>अधिवक्ता</u>

- चालू वित्तीय वर्ष में उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि को अनुदान दिये जाने के लिए 1.50 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है । साथ ही, अवध बार एसोसियेशन के अधिवक्ताओं के चेम्बर निर्माण तथा पुस्तकालय के लिए पुस्तकों के क्रय हेतु 1.10 करोड़ रूपये तथा उत्तर प्रदेश राज्य विधिज्ञ परिषद के भवन के निर्माण हेतु 60 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है ।

- बजट वर्ष में अधिवक्ताओं के लि चेम्बर निर्माण के लिए 15 करो रुपये की व्यवस्था है ।

<u>होमगार्ड्स</u>

- होमगार्ड्स स्वयं सेवकों को परेड भत की राशि 28 रुपये प्रति दिवस बढ़ा कर 50 रुपये प्रति दिवस कि जाने का निर्णय लिया गया है ।

<u>रिक्शा चालक</u>

- स्थानीय निकायों में स्वयंचालित रिक्श पर आरोपित लाइसेंस शुल्क क समाप्त कर दिया गया है ।

- अल्प संख्यक समुदाय, पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति के ऐसे रिक्शा चालकों, जिनके पास अपना स्वयं का रिक्शा नहीं है, को 4 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराकर उन्हें रिक्शा मालिक बनाने की योजना लागू करने का भी निर्णय हमारी सरकार ने लिया है । योजनान्तर्गत प्रथम चरण में 10,000 रिक्शा चालकों को आच्छादित किया जायेगा ।

बुनकर

- प्रदेश के बुनकरों के विद्युत बिलों में अधिकतम 5,000 रुपये की सीमा के अधीन 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी ।
- प्रदेश में लगभग 7.10 लाख बुनकर और 2.33 लाख हथकरघे लगे हुये हैं । 25,000 बुनकरों को रोजगार सुलभ कराते हुए 51 करोड़ मीटर हथकरघा वस्त्र के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है ।

अल्पसंख्यक

- एक वैधानिक संस्था के रूप में *उत्तर प्रदेश अरबी-फारसी मदरसा बोर्ड* का गठन प्रस्तावित है । इसके लिए एक विधेयक सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा ।
- रामपुर में उर्दू / फारसी विश्व विद्यालय की स्थापना की जाएगी । इसके लिए एक विधेयक सदन में प्रस्तुत किया जायेगा ।

- उर्दू भाषा के 3000 से अधिक सहायक अध्यापकों की नियुक्तियाँ की जाएंगी ।

- मौलाना मुहम्मद अली जौहर के स्वतंत्रता संग्राम में किये गये योगदान को ध्यान में रखते हुए उनके पैतृक स्थान रामपुर में *मौलाना मुहम्मद अली जौहर शोध संस्थान* की स्थापना की जाएगी ।

- अल्पसंख्यक मार्जिन मनी ऋण योजना ब्याज की दर 6 प्रतिशत से घटाकर 3 प्रतिशत कर दी गई है ।

- आलिया स्तर तक के समस्त बालिका अनुदानित मदरसों को निःशुल्क कम्प्यूटर उपलब्ध कराये जाएंगे ।

- *मदरसा मिनी आई.टी.आई. स्कीम* के अन्तर्गत 140 मदरसों में व्यवसायिक शिक्षा दी जाएगी ।

<u>महिलाएं</u>

प्रदेश की आधे से अधिक महिलाएं लिख पढ़ नहीं सकतीं । महिला साक्षरता में कमी का प्रतिकूल प्रभाव शिशु मृत्यु दर

पर भी पड़ा है । प्रदेश में यह दर राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक, 83 प्रति हज़ार है ।

महिलाओं की आर्थिक व सामाजिक स्थिति, प्रदेश के विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए अभी उस स्तर की नहीं है, जितना उनका हक है । प्रदेश की लगभग आधी आबादी की ओर हमारी सरकार की विशेष संवेदना है ।

- महिलाओं के व्यक्तित्व को गरिमा प्रदान करने के लिए उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधारने के कार्यक्रम प्रारम्भ किये जा रहे हैं जिनमें से कतिपय कार्यक्रमों का उल्लेख यथा स्थान किया गया है ।

<u>बेरोजगार नौजवान</u>

हमारी सरकार का संकल्प है कि प्रदेश में अधिक से अधिक रोजगार के साधन उपलब्ध करायें और सार्वजनिक तथा निजी पूँजी निवेश में वृद्धि द्वारा विकास के माध्यम से बेरोजगारी की समस्या दूर करें । यद्यपि हम इस दिशा में प्रयासरत हैं परन्तु बेरोजगारी की गम्भीर समस्या के दृष्टिगत बहुत कम समय में सबको

रोजगार दिया जाना सम्भव नहीं है । इसके लिये राज्य सरकार बेरोजगारी भत्ते के प्रश्न पर गम्भीरता पूर्वक विचार कर रही है । परन्तु राज्य सरकार के सीमित संसाधनों को देखते हुये हम इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार के सहयोग एवं भागीदारी की आकांक्षा करते हैं तथा अपेक्षा करते है कि केन्द्र सरकार राज्य सरकार को इस सम्बन्ध में आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराये । हमने इस विषय में माननीय प्रधानमंत्री जी को एक पत्र भी भेजा है । भारत सरकार से उत्तर प्राप्त होने पर इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जायेगा ।

मान्यवर,

सम्मानित सदस्य सहमत होंगे कि राज्य सरकार द्वारा समग्र एवं सन्तुलित विकास को लक्ष्य मानते हुये ही बजट के माध्यम से सभी कार्यक्रमों को एक निश्चित दिशा दिये जाने का प्रयास किया गया है ।

आर्थिक परिदृश्य

दसवीं योजना अवधि में 8 प्रतिशत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया है जबकि योजना के प्रथम वर्ष 2002-2003 के त्वरित

अनुमानों के अनुसार प्रदेश की विकास दर 0.3 प्रतिशत रही एवं देश की विकास दर 4.2 प्रतिशत रही । यद्यपि उक्त वर्ष में अभूतपूर्व सूखे की स्थिति रही तथापि इससे यह तो स्पष्ट होता ही है कि प्रदेश में आर्थिक विकास की दर अभी भी सम्पूर्ण देश की तुलना में काफी कम है ।

वर्ष 2002-2003 के अनन्तिम अनुमानों के अनुसार राज्य की कुल आय में कृषि का योगदान लगभग 34 प्रतिशत है जबकि प्रदेश के कुल कर्मकारों में से 66 प्रतिशत कर्मकार कृषि क्षेत्र में लगे हुए है । यह कृषि क्षेत्र में अधिक श्रम शक्ति के लगे होने का द्योतक है ।

इस स्थिति को ध्यान में रखकर ही प्रदेश के भावी विकास की रणनीति तय की है । आशा है हमारे इस प्रयास में विधान मण्डल के सभी माननीय सदस्यों का सहयोग हमें प्राप्त होगा ।

वार्षिक योजना (2004-2005)

प्रदेश की वार्षिक योजना 2004-2005 के लिए 8,500 करोड़ रुपये का अनन्तिम परिव्यय प्रस्तावित है । केन्द्रीय योजना आयोग के साथ विचार विमर्श के उपरान्त वार्षिक योजना के

आकार को अन्तिम रूप से निर्धारण किया जायेगा । अनन्तिम परिव्यय का लगभग 21 प्रतिशत अंश अनुसूचित जाति / जनजाति के विकास हेतु स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान / ट्राइबल सब प्लान हेतु रखा गया है ।

शान्ति व्यवस्था

शान्ति व्यवस्था और अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण प्रदेश में विकास हेतु अनुकूल वातावरण तैयार किये जाने की पहली आवश्यकता है । शान्ति व्यवस्था की गम्भीर चुनौतियों का सामना करने के लिये पुलिस प्रशासन को नया रूप देने, अधिक सतर्क, सक्षम और प्रभावी बनाने के लिये अत्याधुनिक संसाधन, दूर संचार व तीव्र गति के वाहनों से लैस किये जाने के लिए बजट में 250 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है । साम्प्रदायिक घटनाओं से त्वरित गति से निपटने के लिये दंगा निरोधक उपकरणों के लिए भी व्यवस्था की गई है ।

राजकोषीय सेवायें

राज्य के राजस्व प्राप्तियों में राजकोषीय सेवाओं का अत्यन्त महत्वपूर्ण योगदान होता है जो कि कुल प्राप्ति का लगभग 50 प्रतिशत

होता है । इनमें व्यापारकर, आबकारी एवं स्टॉम्प एवं रजिस्ट्रेशन शुल्क प्रमुख स्रोत हैं ।

राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2004-2005 में राज्य के स्वयं के कर राजस्व प्राप्ति के अन्तर्गत 16,031.25 करोड़ रुपये के अनुमान लिए गए हैं ।

राज्य सरकार द्वारा इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक प्रभावी कार्ययोजना तैयार की गयी है, जिसमें राजस्व प्राप्तियों का नियमित एवं प्रभावी अनुश्रवण, बकाया राजस्व की वसूली, करापवंचन पर अंकुश लगाने के लिए प्रवर्तन एवं पूर्व गठित अनुसंधान शाखा का सुदृढ़ीकरण विभागीय अधिकारियों एवं जिला प्रशासन तंत्र के मध्य प्रभावोत्पादक सहयोग लिया जायेगा ।

करेतर राजस्व के अन्तर्गत वर्ष 2004-2005 हेतु 1,852.57 करोड़ रुपये के प्राप्तियों के अनुमान लिए गए हैं ।

कृषि एवं अन्य सम्बद्ध सेवायें

इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए तथा यह देखते हुए कि अभी भी प्रदेश के विकास में कृषि क्षेत्र की भूमिका सर्वाधिक है,

आर्थिक विकास कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई है ।

वर्ष 2004-2005 में कृषि उत्पादन में विकास दर 5.1 प्रतिशत प्रतिवर्ष शाश्वत बनाये रखते हुए 502 लाख मी.टन खाद्यान्न उत्पादन तथा 16 लाख मी.टन तिलहनी उत्पादन के लक्ष्य प्रस्तावित हैं ।

किसानों को खेती की बेहतर तकनीकें उपलब्ध कराने तथा उनकी आय में वृद्धि करने की दृष्टि से विश्व बैंक की सहायता से *"कृषि विविधिकरण योजना"* चलाई जा रही है । इसके प्रथम चरण की सफलता को देखते हुए इसे द्वितीय चरण और अधिक विस्तार देते हुए चलाया जाना प्रस्तावित है ।

उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम द्वारा द्वितीय चरण में ऊसर सुधार का कार्य विश्व बैंक की सहायता से प्रदेश के 17 ऊसर बाहुल्य जनपदों में चलाया जा रहा है । इस परियोजना से मुख्यतः सीमान्त एवं लघु अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग के कृषक लाभान्वित होते हैं ।

कृषकों के जीवन गुणवत्ता में सुधार लाये जाने हेतु *बीहड़ स्थिरीकरण परियोजना* यूरोपियन

कमीशन व उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से संचालित की जा रही है ।

गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग

गन्ना पेराई सत्र 2002-2003 का कुल गन्ना मूल्य 4994 करोड़ रुपये में से 4983 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है । उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम तथा सहकारी चीनी मिल संघ द्वारा सम्पूर्ण गन्ना मूल्य का भुगतान कर दिया गया है ।

ग्राम्य विकास एवं ग्रामीण रोजगार

सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2004-2005 में 17 करोड़ से अधिक मानव दिवस सृजित करने का लक्ष्य है । *अम्बेडकर विशेष रोजगार* योजनान्तर्गत विभिन्न योजनाओं के माध्यम से 1.20 लाख लोगों को *स्वरोजगार तथा रोजगार संकल्प (रोजगार छतरी योजना)* के अन्तर्गत 12.50 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजन किया जाना प्रस्तावित है । *स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना* में 2.5 लाख परिवारों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है ।

ग्रामीण अंचलों में आवासों की कमी के निराकरण हेतु इन्दिरा आवास योजना एवं *प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (ग्रामीण आवास)* के अन्तर्गत 2.25 लाख परिवारों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य है ।

ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमों के लिए 372.17 करोड़ रुपये का प्राविधान है जिसमें *स्वजल धारा परियोजना* के अन्तर्गत हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन पर 149.90 करोड़ रुपये का प्राविधान सम्मिलित है ।

सड़क एवं यातायात

अभी भी 45 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण आबादियाँ लेपित सम्पर्क मार्गों से नहीं जुड़ी हैं । *प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना* के अतिरिक्त *समग्र विकास योजना* के अन्तर्गत ग्रामीण सम्पर्क मार्गों का निर्माण कराया जायेगा । ग्रामीण सड़कों की मरम्मत तथा रख-रखाव पर विशेष ध्यान दिया जायेगा, जिससे किसान को अपनी उपज मण्डियों तक पहुँचाने में सुविधा हो ।

ग्रामीण सम्पर्क मार्गों एवं सेतुओं के निर्माण के लिए 476.30 करोड़ रुपये के परिव्यय से 2,765 कि.मी. मार्गों का निर्माण कराया

जायेगा । चालू वर्ष के दौरान विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 1,844 गाँव / मज़रों को लेपित मार्गों से जोड़ा जायेगा ।

विश्व बैंक की सहायता से लगभग 3,000 करोड़ रूपये की महत्वाकाँक्षी योजना *स्टेट रोड प्रोजेक्ट-II* के अन्तर्गत वर्ष 2003-2008 की अवधि में लगभग 2,574 कि.मी. मार्गों के वृहद रख-रखाव एवं लगभग 953 कि.मी. मार्गों के उच्चीकरण का कार्य तथा 4 बाईपास एवं 5 बड़े पुलों का निर्माण किया जाना है । वर्ष 2004-2005 में इस योजना के अन्तर्गत 432.29 करोड़ रुपये का प्राविधान है ।

सड़कों के नवनिर्माण के साथ-साथ उनकी समुचित मरम्मत एवं रख-रखाव के उद्देश्य से इस बजट में *राज्य सड़क निधि* के अन्तर्गत 300 करोड़ रुपये का प्राविधान है साथ ही *केन्द्रीय सड़क निधि* के अन्तर्गत 85.23 करोड़ रुपये की धनराशि से महत्वपूर्ण मार्गों की मरम्मत कराई जायेगी ।

सिंचाई

नहरों की सफाई कराकर उनकी टेल तक पानी पहुँचाने को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुये वित्तीय वर्ष 2003-2004 में लगभग

34 करोड़ रुपये के प्राविधान से 25,000 कि.मी. लम्बाई में सिल्ट सफाई का कार्य किया गया है । वर्ष 2004-2005 में इस अभियान को और गति दी जायेगी ।

सिंचाई व्यवस्था में क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने के उद्देश्य से बुन्देलखण्ड क्षेत्र में क्रियान्वित की जा रही रसिन, सिजार, कुरार एवं लखेरी बाँध परियोजनाओं से लगभग 6.50 हजार हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का सृजन होगा ।

विश्व बैंक की सहायता से चलाई जा रही *वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग परियोजना* के लिये 222.80 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है ।

ऊर्जा

उपभोक्ताओं को प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर गुणवत्ता वाली बिजली उपलब्ध कराने, ऊर्जा क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देने तथा गांवों में शत-प्रतिशत विद्युतीकरण सुनिश्चित करने के लिए *नई ऊर्जा नीति* के अन्तर्गत उत्पादन, वितरण एवं पारेषण के क्षेत्र में 100 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करने वाले उद्यमियों को अवस्थापना सुविधायें तथा कर संबंधी

विभिन्न रियायतें दिये जाने की व्यवस्था की गई है ।

पिछले कई वर्षो से लम्बित 1,000 मेगावाट क्षमता की अनपरा ''सी'' परियोजना को निजी क्षेत्र के सहयोग से पूर्ण करने का निर्णय लिया गया है ।

मान्यवर, प्रदेश में विद्युत तथा वित्तीय संसाधनों की कमी को देखते हुए यह आवश्यक था कि इस विकल्प पर गम्भीरता से विचार किया जाय कि यह परियोजना 2011 के स्थान पर 2008 तक पूर्ण हो जाय और प्रदेश सरकार को कोई वित्तीय भार भी वहन न करना पड़े । उक्त को दृष्टिगत रखते हुए ही निजी क्षेत्र की भागीदारी का निर्णय लिया गया । मैं इस माननीय सदन को विश्वास दिलाता हूँ कि निजी क्षेत्र के निवेशक का चुनाव खुली निविदा द्वारा सार्वजनिक आमंत्रण के माध्यम से लेवलाइज्ड टैरिफ पर आधारित बिडिंग व्यवस्था से किया जाएगा और निजी क्षेत्र के उपक्रम/उपकर्मी से यह वचनबद्धता प्राप्त की जायेगी कि अनपरा "सी" से उत्पादित ऊर्जा को शत प्रतिशत उत्तर प्रदेश राज्य को ही उपलब्ध कराया जाये । प्रदेश सरकार उपरोक्त निर्णय भारत सरकार की नीति तथा

नए इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, 2003 की अवधारणा एवं प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में घोषित नयी ऊर्जा नीति के अनुरूप है ।

पारीछा में 420 मेगावाट क्षमता की नई उत्पादन इकाई स्थापित करने का कार्य प्रगति पर है तथा अगले 3 वर्षो में यह परियोजना पूर्ण होने की आशा है । ओबरा रिफरबिशमेण्ट परियोजना में 50 मेगावाट की 5 मशीनों के जीर्णोद्धार का कार्य प्रारम्भ हो गया है। यह कार्य भी अगले 3 वर्षों में पूर्ण होने की सम्भावना है ।

औद्योगिक विकास

प्रदेश को 'उद्योग प्रदेश' के रुप में स्थापित करने के लिए सरकार संकल्पबद्ध है । औद्योगिक क्षेत्र में अधिक से अधिक पूँजी निवेश आकर्षित करने तथा विद्यमान निवेशों को पुनः उत्पादक बनाने हेतु प्रदेश सरकार *नई औद्योगिक नीति* लागू करने पर विचार कर रही है । इसका मुख्य उद्देश्य राज्य की असीमित औद्योगिक संभावनाओं को साकार करते हुए औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि तथा रोजगार के अवसर सृजित करना है, जिससे

प्रदेश को आर्थिक प्रगति के पथ पर तेज़ी से अग्रसर किया जा सके ।

व्यापार एवं वाणिज्य

प्रदेश सरकार का लक्ष्य जहाँ एक ओर राजस्व की वसूली को सुनिश्चित करना है वहीं दूसरी ओर यह भी सुनिश्चित करना है कि व्यापारियों का उत्पीड़न न होने पाये । व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए व्यापार कर से सम्बन्धित कई निर्णय पूर्व में ही लिये जा चुके हैं । मैं उन्हें यहाँ दोहराना नहीं चाहूँगा । वर्तमान में स्वीकृत कर पर ब्याज दर 24 प्रतिशत वार्षिक तथा स्वीकृत कर से अधिक निर्धारित कर पर ब्याज दर 18 प्रतिशत वार्षिक है । व्यापारियों की प्रबल मांग का संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने यह महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिया है कि उक्त 24 प्रतिशत तथा 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर को घटाकर क्रमशः 14 प्रतिशत तथा 12 प्रतिशत वार्षिक किया जायेगा । *औद्योगिक / व्यापारिक सुरक्षा फोरम* के गठन तथा व्यापारकर पंजीकरण के लिए छूट की सीमा को बढ़ाकर दोगुना किये जाने का उल्लेख मैं पूर्व ही कर चुका हूँ ।

मुझे पूरा विश्वास है कि व्यापारियों के व्यापक हित में लिए गये हमारे उक्त निर्णय हमारे व्यापारी भाइयों को देय कर स्वेच्छा से जमा करने के लिए प्रेरित करेंगे ।

प्रदेश के अन्दर से प्रदेश के बाहर जाने वाले वाहनों की सहायता केन्द्रों पर सामान्य चैकिंग नहीं की जायेगी तथा किसी भी वाहन को जाँच के लिए 24 घंटे से अधिक नहीं रोका जायेगा । जाँच हेतु रोके गये वाहनों के कारणों का उल्लेख करते हुए एक घंटे के अन्दर डीटेन्शन मेमो जारी किया जायेगा ।

दिनांक 31 मार्च, 2002 तक सृजित मूल बकायों में से अवशेष मामलों में बकाया कर की मूल धनराशि जमा करने पर देय ब्याज की 60 से 90 प्रतिशत धनराशि तथा आरोपित अर्थदंड की माफी की सुविधा अनुमन्य की गई है ।

नगर विकास एवं नगरीय रोजगार

वर्ष 2004-2005 में 40 नगरों को मानक के अनुसार जलापूर्ति उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य है ।

राष्ट्रीय मलिन बस्ती सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग 29 लाख व्यक्तियों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है ।

आवास

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों द्वारा 2,500 करोड़ रुपये आय अर्जित करने, 3,000 हेक्टेयर भूमि अर्जित करने तथा विभिन्न श्रेणी के 90 हजार आवासीय भवन / भूखण्ड विकसित करने के लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं ।

दसवीं पंचवर्षीय योजनावधि में नगरीय क्षेत्र की 16 लाख आवासीय इकाइयों की मांग के दृष्टिगत प्रदेश की राजधानी तथा अन्य विकासशील महानगरों एवं उनके समीपवर्ती क्षेत्रों में 1,500 एकड़ या अधिक भूमि पर न्यूनतम 750 करोड़ रुपये के निजी पूंजी निवेश से अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त *हाई-टेक टाउनशिप* के विकास हेतु नई नीति घोषित की गयी है ।

निजी पूंजी निवेश के माध्यम से *इन्टीग्रेटेड टाउनशिप* विकसित होने से जहाँ एक ओर नगरीय क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली आबादियों का विकास हो सकेगा, वहीं दूसरी ओर योजनाओं के क्रियान्वयन मे किसानों की

सहभागिता तथा उनके लिए आवास एवं रोजगार के पर्याप्त अवसर भी सुलभ हो सकेंगे ।

बेसिक शिक्षा

सभी के लिए शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए शिक्षा की पहुँच में विस्तार, विद्यालयों में बच्चों के ठहराहों में वृद्धि और शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार की सुनियोजित रणनीति अपनायी जा रही है । सर्व शिक्षा अभियान को मानव विकास का ध्वज-वाहक बनाने का निश्चय किया गया है । इसके अन्तर्गत 1,855 जर्जर प्राथमिक विद्यालय, 655 जर्जर उच्च प्राथमिक विद्यालय, 30,000 अतिरिक्त कक्षा कक्ष एवं 20,226 शौचालयों का निर्माण कराया जायेगा तथा 5,551 हैण्डपम्प विद्यालयों में लगाये जायेगें ।

शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए व्यापक स्तर पर शिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जायेगा ।

माध्यमिक शिक्षा

निजी प्रबन्ध तंत्र द्वारा कन्या विद्यालयों की स्थापना नामक योजनान्तर्गत अवशेष सभी 321

विकास खण्डों की दूसरी न्याय पंचायत में विद्यालयों की स्थापना हेतु 32.10 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई है ।

राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के भवनों के निर्माण एवं विस्तार के लिए *त्वरित आर्थिक विकास योजना* तथा *आदर्श जनपद योजना* के अन्तर्गत 20 करोड़ रूपये की व्यवस्था है ।

उच्च शिक्षा

राजकीय महाविद्यालयों के भवनों के निर्माण एवं विस्तार के लिए *त्वरित आर्थिक विकास योजना* तथा *आदर्श जनपद योजना* के अन्तर्गत 20 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है ।

प्राविधिक शिक्षा

डिप्लोमा स्तरीय प्राविधिक शिक्षा के अतिरिक्त अवसर सुलभ कराने के लिए बलिया, मेजा (इलाहाबाद), दौराला (मेरठ) एवं फिरोजाबाद में स्थापनाधीन राजकीय महिला पॉलीटेक्निक को एक-एक पाठ्यक्रम सहित क्रियाशील किया जाना प्रस्तावित है । गोरखपुर, फैजाबाद के राजकीय महिला पॉलीटेक्निक तथा बिजनौर एवं सहारनपुर के राजकीय पॉलीटेक्निक में नये पाठ्यक्रमों का संचालन प्रस्तावित है ।

राजकीय महिला पॉलीटेक्निक, वाराणसी में एक छात्रावास एवं राजकीय पॉलीटेक्निक, झांसी में एक महिला छात्रावास के निर्माण से 150 छात्राओं को अतिरिक्त छात्रावासीय सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी ।

खेलकूद

वर्ष 2007 अथवा वर्ष 2009 के राष्ट्रीय खेलों के प्रदेश में आयोजन के लिए हम प्रयासरत हैं ।

विभिन्न जनपदों में नये बहुउद्देशीय क्रीड़ाहाल बनाये जाने के लिए 2.50 करोड़ रूपये का प्राविधान किया गया है ।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

ज़िलास्तर पर प्रथम चरण में चिकित्सालयों को सुपर स्पेशिलिटी, विशेष कर हृदयरोग, गुर्दे का रोग, कैंसर जैसे गम्भीर रोगों के उपचार की सुविधा हेतु सुसज्जित किया जा रहा है । इस प्रकार मेडिकल कालेजों में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं को जिला स्तरीय चिकित्सालयों तक एवं जिला स्तरीय चिकित्सालयों में उपलब्ध सुविधाओं को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर तक ले जाया जायेगा । इससे नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र के

रोगियों को निकटतम स्थान पर उच्च स्तर की गुणवत्तापरक चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध हो सकेंगी ।

जिला महिला चिकित्सालयों में विशिष्ट चिकित्सा सुविधाओं हेतु इस बजट में लगभग 6.45 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है ।

औषधि की मद में लगभग 130 करोड़ रूपये का प्राविधान किया गया है ।

रोगों के अर्ली डिटेक्शन (त्वरित पहचान) के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों के स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है । कैंसर जैसे रोग की त्वरित पहचान / निदान हेतु कैंसर के उपचार के लिये कोबाल्ट थेरेपी यूनिट एवं मेमोग्राफी मशीन के लिए बजट प्राविधान किया गया है ।

शहरी तथा ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए *त्वरित आर्थिक विकास योजना* तथा *आदर्श जनपद योजना* के अन्तर्गत 40 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है ।

चिकित्सा शिक्षा

किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ को *सेन्टर आफ एक्सीलेंस* के रूप में विकसित किये जाने हेतु सरकार प्रतिबद्ध है । इस हेतु

रोगियों को निकटतम स्थान पर उच्च स्तर की गुणवत्तापरक चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध हो सकेंगी ।

जिला महिला चिकित्सालयों में विशिष्ट चिकित्सा सुविधाओं हेतु इस बजट में लगभग 6.45 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है ।

औषधि की मद में लगभग 130 करोड़ रूपये का प्राविधान किया गया है ।

रोगों के अर्ली डिटेक्शन (त्वरित पहचान) के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों के स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है । कैंसर जैसे रोग की त्वरित पहचान / निदान हेतु कैंसर के उपचार के लिये कोबाल्ट थेरेपी यूनिट एवं मेमोग्राफी मशीन के लिए बजट प्राविधान किया गया है ।

शहरी तथा ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए *त्वरित आर्थिक विकास योजना* तथा *आदर्श जनपद योजना* के अन्तर्गत 40 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है ।

चिकित्सा शिक्षा

किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ को *सेन्टर आफ एक्सीलेंस* के रूप में विकसित किये जाने हेतु सरकार प्रतिबद्ध है । इस हेतु

आकस्मिक एवं अपेक्स ट्रामा सेन्टर की शुरूआत 24 दिसम्बर, 2003 से कर दी गई है तथा टेली कोबाल्ट यूनिट की स्थापना की जा रही है । नवीन कैथलैब की स्थापना यथाशीघ्र सुनिश्चित की जायेगी ।

संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ की स्थापना के प्रथम चरण में 6 अति विशिष्टताओं को स्थापित किया जा चुका है तथा टेली-मेडिसिन एवं यकृत प्रत्यारोपण की स्थापना हेतु प्राथमिकता के आधार पर कार्य किया जा रहा है । संस्थान के लिए आवर्तक अनुदान में 20 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है ।

समाज कल्याण

दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना में उच्चतर कक्षाओं में छात्र / छात्राओं की बढ़ी संख्या के दृष्टिगत बजट में 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है । हमारी सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों से इंजीनियरिंग कालेज / एम.बी.ए. / मेडिकल कालेज एवं विश्वविद्यालय में प्रवेश के समय शुल्क न लेकर उनके विद्यालयों / संस्थाओं को

सीधे विभाग द्वारा शुल्क दिये जाने का निर्णय लिया गया है ।

जैसा कि मैंने अपने पिछले बजट भाषण में उल्लेख किया था, 60 वर्ष के ऊपर के वृद्धों / किसानों को *वृद्धावस्था / किसान पेंशन योजना* के अन्तर्गत पेंशन की राशि को बढ़ाकर 150 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है ।

पारिवारिक लाभ योजना में 22 करोड़ रुपये की व्यवस्था 22,000 परिवारों को लाभान्वित कराने हेतु की गई है । अनुसूचित जाति एवं जनजाति के परिवारों की पुत्रियों की शादी हेतु 10,000 रुपये तथा उसके परिजनों की बीमारी के इलाज हेतु 2,000 रुपये की धनराशि की आर्थिक सहायता हेतु लगभग 25.86 करोड़ रुपये का प्राविधान प्रस्तावित है ।

अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित योजनाओं के लिए 168.76 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है ।

जनजातियों के कल्याणार्थ विभिन्न योजनाओं के संचालन के लिए 9.90 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है ।

पूर्व सैनिकों, शहीद सैनिकों की पत्नियों तथा उनके आश्रितों के कल्याण के लिए योजनायें चलाई जा रही हैं ।

अल्पसंख्यक कल्याण

प्रदेश सरकार अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है । मुझे आपको यह अवगत कराते हुए हर्ष हो रहा है कि राज्य सरकार द्वारा अरबी-फारसी शिक्षा के बेहतर संचालन के लिए "उत्तर प्रदेश अरबी-फारसी मदरसा बोर्ड" के गठन हेतु एक विधेयक सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा । इस बोर्ड में मुस्लिम धर्मशास्त्र के ख्याति प्राप्त विद्वानों को सदस्य के रूप में रखा जायेगा और मदरसा बोर्ड के पास ऐसे अधिकार होंगे जो प्रदेश में मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण एवं लाभप्रद बनाये जाने के लिए आवश्यक हों ।

अल्प संख्यक समुदाय के रिक्शा चालकों को रिक्शा क्रय करने के लिए रियायती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने संबंधी सुविधा का उल्लेख पूर्व ही किया जा चुका है ।

मुझे माननीय सदन को सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि आर्थिक दृष्टि से दुर्बल एवं अल्प आय वर्ग के परिवारों को आवासीय

सुविधायें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अल्पसंख्यक बाहुल्य नगरीय क्षेत्र यथा - मेरठ, मुरादाबाद, अलीगढ़, रामपुर, बरेली, सहारनपुर आदि में विकास प्राधिकरणों तथा आवास एवं विकास परिषद द्वारा अपने सामान्य आवासीय कार्यक्रम के अतिरिक्त 30,000 आवासीय भवन एवं भूखण्ड विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत बनाये जायेंगे, जिससे अल्पसंख्यक वर्ग के आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिवारों को एक स्वस्थ रिहायसी वातारण में समस्त अवस्थापना सुविधाओं से सम्पन्न आवासीय सुविधा उपलब्ध हो सकें ।

पिछली बार जब हमारी सरकार 1994-1995 में बनी थी तब हमने विशेष प्रयास कर उर्दू भाषा के अध्यापन हेतु अध्यापकों की भर्ती करने की कार्यवाही की थी । हम किसी पर आक्षेप नहीं लगाना चाहते, परन्तु हमारे उक्त प्रयासों के बाद इस दिशा में कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया । सरकार द्वारा विशेष अभियान चलाकर उर्दू भाषा के अध्यापन हेतु 3000 से भी अधिक सहायक अध्यापकों की नियुक्ति करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ।

प्रदेश के अल्पसंख्यक समुदायों के आर्थिक एवं शैक्षिक विकास हेतु हमारी सरकार ने विगत कुछ माह के दौरान अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं । प्रदेश के मदरसों में *कौशल प्रशिक्षण योजना* लागू की गयी है । नोयडा में 100 प्रवेश क्षमता वाला एक कोचिंग प्रशिक्षण केन्द्र भी स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, जहाँ अल्पसंख्यक समुदाय के मेधावी युवकों-युवतियों को राष्ट्रीय तथा प्रदेश स्तर की प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं में अधिकाधिक सफलता के लिए *निःशुल्क कोचिंग* की सुविधा प्रदान की जायेगी ।

मदरसा आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत मदरसों में आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु 2,300 से अधिक विज्ञान शिक्षकों की नियुक्ति का भी प्रस्ताव है ।

महिला एवं बाल विकास

महिलाओं को मुख्य धारा से जोड़ने तथा उन्हें विकास के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा अनेक योजनाएं व कार्यक्रम चलाने का निर्णय लिया गया है । पूर्व से चल रहे कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी में वृद्धि की जा रही है ।

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोज़गार योजना के अन्तर्गत लगभग 50 हज़ार महिला समूहों के माध्यम से 5 लाख महिलाओं को स्वरोज़गार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे ।

महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से 423 विकास खण्डों में *किशोरी शक्ति योजना* चलायी जा रही है ।

पर्यटन

पर्यटन को प्रमुख व्यवसाय के रूप में विकसित करने, विभिन्न श्रेणी के पर्यटकों व यात्रियों के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराने तथा संगठनात्मक व रणनीतिपरक दिशा प्रदान करते हुए दर्शनीय स्थलों को और अधिक आकर्षक बनाने हेतु उन्हें विकसित करके प्रदेश के लिए रोजगार सृजन, आर्थिक पर्यावरणीय सुरक्षा, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित एवं अक्षुण्य रखने का प्रयास किया जा रहा है ।

बौद्ध पर्यटन परिपथ के अन्तर्गत प्रमुख बौद्ध केन्द्रों के विकास की 1062.00 करोड़ रूपये की एक वृहत् योजना भारत सरकार को भेजी गई है ।

विश्व प्रसिद्ध ताजमहल के 350 वर्ष पूर्ण होने पर वर्ष 2004-2005 को अन्तराष्ट्रीय ताज वर्ष घोषित किया गया है । इस अवसर पर राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भव्य आयोजन भी प्रस्तावित हैं ।

वन

वर्तमान में भौगोलिक क्षेत्र के 8.8 प्रतिशत भाग में वनावरण एवं वृक्षावरण है । जनसंख्या, कृषि तथा औद्योगिकीकरण के बढ़ते दबाव के कारण वनों पर जैविक दबाव पड़ रहा है । आरक्षित वनों की सघनता एवं उत्पादकता वृद्धि हेतु वृक्षारोपण के साथ ही शहरी क्षेत्रों में खाली पड़ी उपलब्ध भूमि पर वृक्षारोपण कार्य किया जा रहा है । निजी भूमि पर वृक्षारोपण करने के लिये कृषकों को उच्च गुणवत्ता की पौध उपलब्ध कराई जा रही है ।

पर्यावरण

पर्यावरणीय शिक्षा, प्रशिक्षण व जन जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन तथा पर्यावरणीय शोध एवं क्रियान्वयन कार्यक्रमों हेतु 1.77 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है । पर्यावरण के क्षेत्र में प्रदेश के सर्वोत्तम कार्य करने वाली ग्राम पंचायत, शैक्षिक संस्था और

स्वयंसेवी संस्था को पुरस्कृत करने हेतु *'उत्तर प्रदेश पर्यावरण पुरस्कार'* प्रदान किये जाने की योजना है ।

न्याय

विभिन्न जनपदों में न्यायालय भवनों के निर्माण के लिये 15 करोड़ रुपये तथा न्यायिक अधिकारियों के लिये आवास के निर्माण हेतु 15 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है । न्यायालयों के कम्प्यूटरीकरण हेतु सूचना एवं प्रौद्योगिकी की स्थापना की दिशा में माननीय उच्च न्यायालय के लिये 53 लाख रुपये तथा अधीनस्थ न्यायालयों के लिये लगभग 77.52 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

खाद्य एवं रसद

नई सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत ए.पी.एल. योजना, बी.पी.एल. योजना, अन्त्योदय अन्न योजना तथा अन्नपूर्णा योजना का संचालन किया जा रहा है । ए.पी.एल., बी.पी.एल. तथा अन्त्योदय अन्न योजना में पूर्वान्चल के मण्डलों को छोड़कर प्रतिमाह 23 किलोग्राम गेहूँ व 12 किलोग्राम चावल इस प्रकार कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न अनुमन्य है । पूर्वांचल के मण्डलों में प्रतिमाह 20

किलोग्राम चावल तथा 15 किलोग्राम गेहूँ वितरित किया जा रहा है ।

अन्त्योदय परिवारों को 2 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूँ तथा 3 रुपये प्रति किलोग्राम चावल उपलब्ध कराया जाता है जबकि अन्नपूर्णा योजनान्तर्गत 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के निराश्रित एवं आयविहीन वृद्धों को निःशुल्क 10 किलोग्राम खाद्यान्न प्रतिमाह उपलब्ध कराया जा रहा है ।

वर्ष 2004-2005 के बजट अनुमान

मान्यवर,

अब मैं वित्तीय वर्ष 2004-2005 के बजट अनुमानों के बारे में प्रमुख बिन्दुओं का उल्लेख करना चाहूँगा ।

प्राप्तियाँ

- वर्ष 2004-2005 में 61264.92 करोड़ रुपये की कुल प्राप्तियाँ अनुमानित हैं ।
- कुल प्राप्तियों में 37258.62 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्तियाँ तथा 24006.30 करोड़ रुपये की पूँजीगत प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं ।

- वर्ष 2004-2005 में राजस्व प्राप्तियों में कर एवं करेत्तर राजस्व का अंश 32933.85 करोड़ रुपये है । इसमें केन्द्रीय करों में राज्य का अंश 15050.03 करोड़ रुपये सम्मिलित है ।

व्यय

- वर्ष 2004-2005 में कुल व्यय 63983.63 करोड़ रुपये अनुमानित है ।
- कुल व्यय में 42785.71 करोड़ रुपये राजस्व लेखे का व्यय है तथा 21197.92 करोड़ रुपये पूँजी लेखे का व्यय है ।
- वर्ष 2004-2005 के बजट में 9651.46 करोड़ रुपये आयोजनागत व्यय अनुमानित है ।

समेकित निधि

समेकित निधि की प्राप्तियों से कुल व्यय घटाने के पश्चात् वर्ष 2004-2005 में घाटा 2718.71 करोड़ रुपये है ।

लोक-लेखा से समायोजन

वर्ष 2004-2005 में समेकित निधि का घाटा पूरा करने के लिए 3175.30 करोड़ रुपये लोक-लेखा से समायोजित किये जायेंगे ।

समस्त लेन-देन का शुद्ध परिणाम

वर्ष 2004-2005 में समस्त लेन-देन का शुद्ध परिणाम 456.59 करोड़ रुपये अनुमानित है ।

अन्तिम शेष

वर्ष 2004-2005 में प्रारम्भिक ऋणात्मक शेष 1074.79 करोड़ रुपये को हिसाब में लेते हुए अन्तिम ऋणात्मक शेष 618.20 करोड़ रुपये होना अनुमानित है । इस ऋणात्मक शेष को व्यय में कमी लाकर तथा आय के स्रोतों में वृद्धि कर कम किये जाने का प्रयास किया जायेगा ।

मान्यवर, मैने इस सम्मानित सदन में 14 नवम्बर, 2003 को वर्ष 2003-2004 का बजट प्रस्तुत करते समय अपने बजट भाषण में राज्य की असंतुलित वित्तीय स्थिति का सविस्तार उल्लेख किया था । तीन माह के इस अल्प अन्तराल में राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार ला पाना सम्भव नहीं है परन्तु राज्य सरकार द्वारा इस दिशा में दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास किया जा रहा है ।

अब जो वर्ष 2004-05 का बजट प्रस्तुत किया गया है उसमें वर्ष के समस्त लेन-देन का

शुद्ध धनात्मक परिणाम इस बात का द्योतक है कि राज्य सरकार अपने कुल व्यय को कुल आय के अन्तर्गत रखने के लिए प्रयासरत है ।

यहां मै बजट के वित्तीय पहलुओं की कुछ मुख्य विशेषताओं का भी उल्लेख कर रहा हूं -

वर्ष 2003-2004 के बजट अनुमानों में राजस्व घाटा राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 3.4 प्रतिशत तथा जो वर्ष 2004-2005 में 2.4 प्रतिशत अनुमानित है ।

वर्ष 2003-2004 के बजट अनुमानों में राजकोषीय घाटा राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 9.1 प्रतिशत अनुमानित है तथा वर्ष 2004-2005 में 4.4 प्रतिशत अनुमानित है ।

वेतन, पेंशन तथा ब्याज का सम्मिलित व्यय वर्ष 2003-2004 के बजट अनुमानों में कुल राजस्व प्राप्ति का 86.6 प्रतिशत तथा वर्ष 2004-2005 के बजट अनुमानों के अनुसार 80.3 प्रतिशत है ।

वर्ष 2003-2004 के बजट अनुमानों के आधार पर कुल राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में वेतन, पेंशन एवं ब्याज पर व्यय 71 प्रतिशत है जो 2004-2005 के बजट अनुमानों के अनुसार 70 प्रतिशत है ।

2003-2004 के बजट अनुमानों के आधार पर राजस्व घाटा राजस्व प्राप्ति के प्रतिशत के रूप में 22.1 प्रतिशत है जो वर्ष 2004-2005 में 14.8 प्रतिशत अनुमानित है ।

उपर्युक्त आँकड़ों से इस बात का संकेत मिलता है कि राज्य सरकार ने वर्ष 2004-2005 के बजट के माध्यम से अनुत्पादक व्यय पर नियंत्रण एवं उनमें कमी करने का प्रयास किया है ताकि सामाजिक क्षेत्र एवं अवस्थापना क्षेत्र की योजनाओं के लिए संसाधनों की उपलब्धता बढ़ सके ।

शासकीय व्यय में कमी लाने के उद्देश्य से हमारी सरकार द्वारा नवसृजित 9 जनपदों और 4 मण्डलों को समाप्त किया गया है ।

इसके अतिरिक्त विधान मण्डल के वर्तमान सत्र में *उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन विधेयक* सदन के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की प्रक्रिया में है ।

जिन क्षेत्रों में अभी हमें अपने प्रयासों को और अधिक बढ़ाना है उनमें राज्य की ऋणग्रस्तता में कमी लाना प्रमुख है । सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत की रूप में राज्य की ऋणग्रस्तता वर्ष 2002-2003 में

41.6 प्रतिशत थी जो 2003-2004 में बढ़कर 49.5 प्रतिशत हो गई । 2004-2005 में इसके 49.1 प्रतिशत होने का अनुमान है । राज्य सरकार द्वारा ऋण पर निर्भरता कम कर स्वयं के संसाधनों को बढ़ाने का प्रयास किया जायेगा जिसके लिए मंत्रि परिषद की संसाधन समिति तथा संसाधन एवं व्यय आयोग द्वारा विचार किया जा रहा है ।

मान्वयर, आजकल चारों ओर "फील गुड फैक्टर" का प्रचार मीडिया के माध्यम से किया जा रहा है । हमारा यह मानना है कि जब तक उत्तर प्रदेश, जहाँ देश का प्रत्येक छठा नागरिक निवास करता है, की जनता के आर्थिक सामाजिक जीवन में सुधार नहीं होता है, उसके लिए प्रगति की नई सम्भावनाएँ और आशाएँ विकसित नहीं होती हैं, तब तक ये शब्द मृग-मरीचिका की भाँति, यथार्थ से परे, व अर्थहीन ही रहेंगे । हमारा प्रदेश कर्मभूमि है जहाँ कर्म और आचरण की प्रतिष्ठा किसी भी शास्त्रीय वचन से अधिक है ।

मुझे श्रद्धेय श्री राम मनोहर लोहिया जी के अमर वाक्य इस सन्दर्भ में याद आते हैं । श्री लोहिया जी कहते थे, बाकी सरकारें बोली से काम चलाती हैं, हमारी सरकार काम

से बोलेगी । हमारी सरकार तरक्की के अन्तिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की वहजूदी में विश्वास करती है, हमारी नीति और कार्यक्रम का अभीष्ट समाज का अन्तिम व्यक्ति है । वर्ष 2004-2005 का बजट इसी दिशा में एक ठोस कदम है ।

मंत्रि-परिषद् के अपने सभी माननीय सदस्यों का मैं अत्यन्त आभारी हूँ कि उनके सहयोग एवं परामर्श से तथा सभी विभागों में कार्यरत् अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सहायता से बजट प्रस्तुत करने में सक्षम हो सका हूँ । मैं प्रमुख सचिव, वित्त, श्रीमती रीता शर्मा और वित्त विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने इस बजट को तैयार करने में बहुमूल्य सहायता प्रदान की है । मैं राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ के अधिकारियों / कर्मचारियों के प्रति भी इस हेतु आभार प्रकट करता हूँ । राजकीय मुद्रणालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि उन्होंने बजट साहित्य का मुद्रण समय से किया । महालेखाकार, उत्तर प्रदेश एवं उनके अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति भी मैं उनके द्वारा दिये गये सहयोग के लिए अपना आभार प्रकट करता हूँ ।

मान्यवर, मैं जानता हूँ कि सिर्फ बजट पेश करने और लोकहित के कार्यक्रम प्रस्तावित कर देने से हर समस्या हल नहीं हो जायेगी । हमने प्रयास किया है कि उत्तर प्रदेश की लगभग 17 करोड़ से अधिक जनता के लिए अत्यन्त सीमित संसाधनों के बावजूद समृद्धि के एक नये युग का सूत्रपात करें ।

हमारी सरकार गांधी, लोहिया, जयप्रकाश, चौधरी चरण सिंह के सादगी, समता विकास के सिद्धांतों को ही अपना आदर्श मानती है । एक बार पंचगनी में सरोजनी नायडू ने जयपुर के महाराजा का परिचय कराया था । महात्मा जी ने जयपुर नरेश की उदारता के लिए धन्यवाद दिया कि उन्होनें एक मुसलमान को अपना दीवान बनाया और उन्हें सलाह दी, "राजा साहब आप अपने को राज्य का मालिक समझकर नहीं बल्कि ट्रस्टी समझकर राज्य का संचालन कीजिए" । हमारी सरकार गांधी जी के इन वाक्यों को अपना संकल्प समझती है । जनता द्वारा दिए धन के हम ट्रस्टी मात्र हैं इसलिए राजकोष अधिकतम जनकल्याणार्थ खर्च करना ही हमारा अभीष्ट है । सार्वजनिक जीवन की सादगी, पारदर्शिता व जनसेवा ही हमारा मुख्य लक्ष्य है । उस लक्ष्य को हम सभी दलों के सहयोग और आम जनता के

आशीर्वाद से प्राप्त करना चाहते हैं । आम जनता का भरपूर सहयोग इस बात का संकेत है कि सरकार की स्थिरता पूरी तरह मजबूत है । इस व्यवस्था परिवर्तन के अपने लक्ष्य को सभी वर्गों, समुदायों के सहयोग से प्राप्त करना चाहते हैं । हम सभी वर्गों से आग्रह करते हैं कि आम तौर पर शांति के बिना विकास के कार्य पूरे नहीं किये जा सकते । इसलिए सत्याग्रह और जनसंघर्ष के महानायक महात्मा गांधी ने कहा था, "शासन के खिलाफ विवेक रहित विरोध चलाया जाय तो उससे अराजकता और अनियंत्रित स्वच्छन्दता की स्थिति पैदा होगी और समाज अपने ही हाथों अपना विनाश कर डालेगा" । हमारा पूरा विश्वास है कि माननीय सदन के सभी पक्ष गांधी जी के इस संदेश को स्वीकार करेगें और प्रदेश के विकास के महान कार्य में सरकार का पूरा सहयोग करेगें ।

सरकार की तरफ से मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हम प्रदेश की जनता के साथ कदम से कदम मिलाकर विकास की इस यात्रा में उनके साथ चलते रहेंगे । मैं यह भी चाहूँगा कि इस सम्मानित सदन के माननीय विद्वान सदस्य, चाहे वे किसी भी दल से सम्बन्ध क्यों न रखते हों, प्रदेश का समग्र विकास करने के लिए शुरु की गई व्यवस्था परिवर्तन की इस पहल में हमारा

सहयोग करें । अंततः हम सभी प्रदेश की जनता का हित साधन करने के लिए ही यहाँ चुनकर भेजे गये हैं । मुझे आशा है कि हमारे सभी माननीय सदस्यगण जनता के उस विश्वास की रक्षा करेंगे, जो उसने हमारे ऊपर व्यक्त किया है ।

इन शब्दों के साथ, मान्यवर, मैं विनम्रतापूर्वक, वित्तीय वर्ष 2004-2005 का प्रदेश का बजट प्रस्तुत करता हूँ ।

माघ, 22 शक-सम्वत् 1925,
तदनुसार,
दिनांक : 11 फरवरी, 2004